न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 50/2020
दायर दिनांक : 22/12/2020
निर्णय दिनांक : 03/12/2025

उनवान

1. लोगर पिता नोला मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर फौत के बजाय
   (1) बगदीराम पिता लोगर मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (2) लालूराम पिता लोगर मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (3) कालूराम पिता लोगर मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (4) किशोरबाई पत्नी लोगर मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. गोपीलाल पिता नोला मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

वादीगण

बनाम

1. केसर पुत्री जयचन्द मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. मोहनलाल पिता जयचन्द मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3. हगामी पुत्री जयचन्द मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
4. नारायणी पत्नी जयचन्द मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
5. किशनलाल पिता भगवाना मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
6. नाथूलाल पिता भगवाना मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
7. रेखा पुत्री भगवाना मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
8. राधेश्याम पुत्र भगवाना मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
9. शांती पत्नी भगवाना मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
10. सुरेश पुत्र भगवाना मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   मृतक रामा पुत्र उदा के बजाय
11. वरदी पत्नी रामा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
12. देऊ पुत्री रामा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
13. दाखी पुत्री रामा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   मृतक वरदीचन्द पुत्र देवजी के बजाय
14. भंवरलाल पिता वरदीचन्द मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
15. हीरालाल पिता वरदीचन्द मेघवाल
16. बगदी पुत्री वरदीचन्द मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
17. राधी पत्नी वरदीचन्द मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   मृतक सुखलाल पिता देवजी के बजाय
18. भैरूलाल पुत्र सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
19. डालचन्द पिता सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
20. लालूराम पिता सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
21. टीपू पुत्री सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
22. मंजु पुत्री सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
23. नोजीबाई पत्नी सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
24. पटवारी, पटवार हल्का निलोद
25. तहसीलदार एवं उप पंजीयक, भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री शंकरलाल जाट, अधिवक्ता वादी

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र अंतर्गत धारा–88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से हैं :

यह है कि वाके ग्राम निलोद पटवार हल्का निलोद [illegible] के हल्के बैरूनी में हाल आराजी संख्या 2506 रकबा 0.81 हैक्टेयर, आ.सं. 2507 रकबा [illegible] हैक्टेयर, आ.सं. 2639 रकबा 0.24 हैक्टेयर, आ.सं. 2645 रकबा 0.23 हैक्टेयर, आ.सं. 2646 रकबा [illegible] हैक्टेयर, आ.सं. [illegible] रकबा 0.69 हैक्टेयर, आ.सं. 2654 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आ.सं. 2665 रकबा [illegible] हैक्टेयर, आ.सं. 2656 रकबा 0.25 हैक्टेयर, आ.सं. 2657 रकबा 0.33 हैक्टेयर, आ.सं. 2658 रकबा 0.49 हैक्टेयर, आ.सं. 2659 रकबा 0.16 हैक्टेयर, आ.सं. 2660 रकबा 0.17 हैक्टेयर, आ.सं. 2796/2639 रकबा 0.41 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.18 13:51:41 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 4.98 हैक्टेयर स्थित होकर उक्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 10 तक के खातेदारी में एवं प्रतिवादी संख्या 11 से लगायत 23 तक के पिता के खातेदारी में दर्ज है। यह कि उक्त आराजियात मौरूसी जायदाद होकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 23 तक के पूर्वजों के समय होकर मूल पुरूष रूपा मेघवाल के समय की है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

रूपा

देवजी   नवला   मेघा   काना

लोगर   गोपीलाल   सूरजमल   नगा   शंकर

जयचंद   वरदीचंद   सुखलाल   मादू   दयाराम   छोगालाल

यह कि उक्त सजरे अनुसार मूल पुरूष रूपा के सबसे बडा लडका देवजी था जिससे खातेदार रूपा के मरने के पश्चात वादग्रस्त आराजियात देवजी पिता रूपा के नाम पर दर्ज हो गई थी और रूपा के तीन अन्य लडके हैं जिनके नाम पर खातेदारी में दर्ज नहीं हुई थी तथा देवजी के मरने के बाद खातेदार जयचन्द, वरदीचन्द, सुखलाल के खातेदारी में दर्ज हो गई थी तथा जयचन्द की भी मृत्यु हो चुकी है जिससे उनके हिस्से की आराजियात जयचन्द के वारिसान के खातेदारी में दर्ज हो गई है तथा वादीगण का विवादित आराजियात में 1/8 हिस्सा रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था चूंकि वादीगण के पिता का नाम नवला था और नवला के 1/8 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था जो नहीं हुआ और वादीगण के पिताजी अशिक्षित होकर अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति थे जिससे रेवेन्यू रिकार्ड की जानकारी नहीं थी लेकिन वादीगण के हिस्से की 1/8 की आराजियात मौके पर वादीगण कब्जा होकर अपने कब्जे काश्त में है तथा मौके पर अपने पिताजी के समय से निर्विवादित रूप से काश्त करते चले आ रहे थे और आज भी मौके पर काबिज होकर वादी लोगर का कब्जा आराजी नंबर 2796/2639 रकबा 0.41 हैक्टेयर पर चला आ रहा है तथा वादी गोपीलाल का कब्जा आराजी नंबर 2506 रकबा 0.81 हैक्टेयर के 1/8 हिस्सा पर एवं आराजी नंबर 2659 रकबा 0.16 हैक्टेयर के पूरा रकबा पर होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। मौके पर आपसी भाई बंटवाड़ा एवं हिस्से अनुसार अलग–अलग कब्जा कर रखा है। यह कि मौके पर वादीगण का अपने पिताजी के समय से ही 1/8 हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने के कारण आये दिन कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा आराजियात पर काबिज होते हुऐ भी वादीगण के कब्जे की आराजी वादीगण के खातेदारी में दर्ज नहीं है जिससे कृषि ऋण आदि कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यह कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 23 तक को गई बार मौखिक रूप से कहा कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजियात वादीगण के खातेदारी में दर्ज करा देवें लेकिन उक्त प्रतिवादीगण किसी प्रकार से कोई सकारात्मक बात नहीं करते और एकमत होकर वादीगण के खातेदारी में दर्ज कराने हेतु तत्पर नहीं हैं तथा उक्त आराजियात में से कुछ प्रतिवादीगण विवादित आराजितयात को रहन बह करने की धमकी देते हैं जिससे उनके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराया जाना आवश्यक है कि वो विवादित आराजियात में से वादीगण के कब्जे काश्त की आराजियात में किसी प्रकार से कब्जे में दखलअन्दाजी नहीं करें और आराजियात को किसी प्रकार से रहन बह बक्षीस वसीयत नहीं करें तथा किसी अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द भी नहीं करें। ऐसा न स्वयं करने न अपने परिवारजन, नौकर, एजेन्ट आदि से करावें और यदि दौराने वादपत्र ऐसा कोई कृत्य प्रतिवादीगण कर देवें तो वादीगण के मुकाबले प्रभावहीन घोषित कराया जाना आवश्यक है तथा वादीगण के हिस्से एवं कब्जे की आराजियात वादीगण के खातेदारी में दर्ज कराया जाना आवश्यक है। यह कि अंतिम बार वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 20.09.2020 को वादीगण के हिस्से की आराजियात अपने खातेदारी में दर्ज कराने बाबत कहा तो उक्त प्रतिवादीगण ने बहानेबाजी की जिससे बिनाय दावा पैदा हुई जिसकी शुरूआत दिनांक 20.09.2020 को हुई एवं उसके पश्चात निरन्तर हो रही है। विवादित आराजियात एवं पक्षकारान श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से यह वादपत्र सुनने का क्षेत्राधिकार अदालत आपको है। बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 23 तक खातेदारी अधिकार की घोषणा की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वादपत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित आराजियात के वादीगण 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं तथा मौके पर हिस्से एवं कब्जे अनुसार वादीगण के खातेदारी में दर्ज कराई जाने की डिक्री बख्शाई जावे तथा वादीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से बाधा पैदा नहीं करे तथा विवादित आराजियात को किसी प्रकार से रहन बह बक्षीस नहीं करें, ऐसा न स्वयं करने न अपने नौकर एजेन्ट परिवारजन आदि से भी नहीं करावें तथा प्रतिवादी संख्या 24 25 उक्त विवादित आराजियात का कोई दस्तावेज पंजीयन नहीं करें और रेवेन्यू रिकार्ड में किसी प्रकार से कोई फेरबदल नहीं करें, ऐसा ऐसा न स्वयं करने न अपने नौकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करावें। दौरान वादपत्र प्रतिवादीगण ऐसा कोई कृत्य कर देवें तो वादीगण के मुकाबले प्रभावहीन माने जाने की डिक्री बक्षाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.18 13:31:41 IST
Reason: Self Attested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को [illegible] जारी किये गये। बाद सम्मन तामिल प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 30.03.2022 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई। वकील [illegible] साक्ष्य वादी एकतरफा में शपथ पत्र PW 1 श्री गोपीलाल, PW 2 श्री बगदीराम एवं PW 3 श्री [illegible] पेश किए जो शामिल पत्रावली हैं। वकील वादी के द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 प्रदर्श करवाई गई जो कि प्रदर्श 1 है। वकील वादी के द्वारा

ओर साक्ष्य पेश नहीं किया जाने का निवेदन किया जाने पर दिनांक 30.03.2022 को साक्ष्य बंद की गई। वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गई।

हमने पत्रावली, उपलब्ध रिकार्ड, हाल–साबिक जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गई। वादी व गवाहों के शपथ–पत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र, वकील वादी की बहस के आधार पर वादी ने अपना वाद अपने पक्ष में साबित कराया है। अतः वादी का वाद अंर्तगत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि वादगत आराजियात ग्राम निलोद पटवार हल्का निलोद तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में हाल आराजी संख्या 2506 रकबा 0.81 हैक्टेयर, आ.सं. 2507 रकबा 0.62 हैक्टेयर, आ.सं. 2639 रकबा 0.24 हैक्टेयर, आ.सं. 2645 रकबा 0.23 हैक्टेयर, आ.सं. 2646 रकबा 0.25 हैक्टेयर, आ.सं. 2649 रकबा 0.69 हैक्टेयर, आ.सं. 2654 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आ.सं. 2665 रकबा 0.21 हैक्टेयर, आ.सं. 2656 रकबा 0.25 हैक्टेयर, आ.सं. 2657 रकबा 0.33 हैक्टेयर, आ.सं. 2658 रकबा 0.49 हैक्टेयर, आ.सं. 2659 रकबा 0.16 हैक्टेयर, आ.सं. 2660 रकबा 0.17 हैक्टेयर, आ.सं. 2796/2639 रकबा 0.41 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 4.98 हैक्टेयर में वादी सं. 1 के वारिसान बगदीराम, लालूराम, कालूराम व किशोरीबाई का 1/16 हिस्सा तथा वादी सं. 2 गोपीलाल को 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज रिकार्ड किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.18 13:51:41 IST
Reason: SelfAttested